

1.14.2017 पत्रावली तत्पुत्र हुई। उभयपक्ष उपस्थित।

पत्रावली का अवसोचन किया गया तथा

कहल उभयपक्ष पर मनन किया गया।

राज्यालय तहसीलदार ने अपीलान्त में

प्रावधान अनुसार धारा 183 हिन्दू

इस अधिनियम पर विचार किया है कि

अतिक्रम की अनुपस्थिति जाती का है।

वकील और प्रतिक्रम को रद्द दी जाती

का हॉर से अधीनत्व न्यायालय ने

अपीलान्त के तदनुषंग को खारिज

किया है। यह अधिनियम नहीं माना है।

इसके पत्रावली का अवसोचन किया गया

वकील अपीलान्त की कहल पर मनन

किया।

धारा 183A Summary ejection of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe

अतिक्रम अनुपस्थित जाती और जाजानि की शक्ति

पर कतिपय हॉर पर संश्लिष्ट कार्य है

पर वेदवली की कार्यवाही में जारी है।

अधिक शक्ति पर अतिक्रम का तदनुषंग अतिक्रम

है तो उसे इस धारा के तहत वेदवली किया

जायेगा। उभय पक्ष वकील ने नहीं किया कि

अतिक्रम अनुपस्थित जाती का हॉर पर धारा

पत्रावली नहीं होगी। अतः तहसीलदार के आदेश

को निरस्त किया जाता है। पत्रावली हरीपोस्ट

की जाती है। न्याय अधीनत्व न्यायालय तदनुषंग

एवं धारा 183 B PCA के तहत कार्यवाही

